Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में छबड़ा थर्मल प्लांट का एक्सईएन 02 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *05 मार्च रविवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की कोटा देहात इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये शैलेष कुमार सिंघल हाल अधिशाषी अभियंता छबड़ा थर्मल पावर प्लांट मोतीपुरा छबड़ा जिला बारां को परिवादी से **02 हजार रूपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे द्वारा छबड़ा थर्मल पावर प्लांट मोतीपुरा छबडा जिला बारां में वर्ष 2021 से अब तक करवाये गये कार्यों के स्वीकृत बिलों व 01 पेण्डिग बिल को पास करने की एवज में छबड़ा थर्मल पावर प्लांट मोतीपुरा छबड़ा के एक्सईएन शैलेष कुमार सिंघल द्वारा 1 प्रतिशत के हिसाब से **4500/–रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के सुपरविजन में एसीबी की कोटा देहात इकाई की **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रेरणा शेखावत** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **श्री पृथ्वीराज मीना पुलिस निरीक्षक** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए शैलेष कुमार सिंघल पुत्र बाबूलाल निवासी मकान नं0 596 दादाबाडी विस्तार योजना मोदी कॉलेज के सामने, हाल अधिशाषी अभियंता छबड़ा थर्मल पावर प्लांट मोतीपुरा छबड़ा जिला बारां को परिवादी से **02 हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा **2500/–रूपये** रिश्वत राशि पूर्व में दौराने सत्यापन दिनांक 02.03.2023 को परिवादी से वसूल ली गई थी।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।